(c) The Government have not taken any decision so far about availing of Canadian assistance for the Stage-II of Chamera H.E. Project.

कृषि हेतु दी जाने वाली बिजली के लिये अधिक शुल्क लिया जाना

@1863. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "एग्रीकल्चर सेक्टर-मिनिमम टैरिफ और इलैक्ट्रिसिटी प्रपोज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली की राज सहायता प्राप्त दरों को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सितम्बर, 1991 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम सहमति के अनुपालन में, हाल ही में राज्यों को 50 पैसे/कि०वा० घं० को न्यूनतम कृषि विद्युत टैरिफ के निर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न फसलों/राज्यों के लिए उत्पादन की कुल लागत पर प्रस्तावित वृद्धि का नाम-मात्र प्रभाव पड़ेगा।

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1486, 6 दिसम्बर, 1991 से स्थानांतरित।

देश में बिजली का भारी संकट

1864. **श्री अजीत जोगी :** क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश बिजली के भारी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य की मांग को पूरा करने हेतु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या कोई दीर्घकालिक नीति बनाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) विद्युत उत्पादन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण सम्बन्धी कारणों को देखते हुए क्या कोई नई सकारात्मक पर्यावरणीय नीति बनाये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पाथ राय) : (क) अप्रैल, 91–अक्तूबर, 91 की अवधि के दौरान देश में लगभग 8% ऊर्जा की कमी थी।

(ख) देश में विद्युत उत्पादन में सुधार लाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :– पुराने यूनिटों के नवीकरन एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता वाला कोयला सप्लाई करना, प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना।

(ग) योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) विद्युत विकास के लिए दीर्घकालीन नीति में ये शामिल हैं: (एक) जल विद्युत शक्यता का त्वरित गति से विकास किया जाना, (दो) पारेषण व वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना, (तीन) कोयला संरक्षक प्रौद्योगिकी को अपनाना, (चार) कोयला परिवहन की पद्धति में व्यपवर्तन करना, (पांच) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी आदि।

(च) विद्युत परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृति संबंधी नई पर्यावरणीय नीति मे द्वि-चरण स्वीकृति की परिकल्पना की गई है। प्रथम चरण में केवल स्थल संबंधी स्वीकृति जारी की जाएगी। दूसरे चरण के अन्तर्गत, परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद परियोजना को अपेक्षित सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया जाएगा। तथापि, प्रदान की गई स्थल संबंधी स्वीकृति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

Power Projects Linked with Loans

1865. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that power project based and linked with loans have become unviable in relation to costing and price per unit production in U.P. and other States; if so, what are the details thereof;

(b) what is the quantum of such loans linked with power projects which is either unused or undisbursed; and

(c) whether Government are going to review such loan agreements?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Welfare Schemes for SCs and STs in Tamil Nadu

1866. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have prepared some schemes for the Welfare of SCs and STs in Tamil Nadu; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The Central Government have not formulated any scheme exclusively for SCs and STs of Tamil Nadu.

A statement on Central/Centrally Sponsored Schemes for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in operation in all States is laid on the Table of the House (*See below*). These schemes are being implemented in Tamil Nadu as well.

Statement

Welfare Schemes for SCs and STs in Tamil Nadu

Government of India has the following Central/Centrally Sponsored Schemes for the welfare of SCs and STs in the State:

1. Special Central Assistance to Special Component Plan for Scheduled Castes.

2. Post Matric Scholarship for SCs and STs.

3. Coaching and Allied Scheme.